

ORDER SHEET 611-2016Rct

THE COURT - - - - -

| Date of order of proceeding | Order or proceeding with singnature of presiding officer | Singnature of parties or pleaders where necessary |
|-----------------------------|--|---|
| 06-01-17 | <p>राज्य द्वारा एडीपीओउप0 आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला उप. प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। आज दिनांक को फरियादी रघुवीर आहत भोलेन्द्र उप0 है।</p> <p>इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यमसे कराना चाहते हैं आज दिनांक को फरियादी रघुवीर आहत भोलेन्द्र उपस्थित है एवं उसके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री पंकज शर्मा के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे।</p> <p>उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षित मीडिएटर न्यायिक मजि0प्रथम श्रेणी, श्री पंकज शर्मा के न्यायालय में उप0हो।</p> <p>प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो। जे0एम0एफ0सी0</p> <p>पुनश्च— पक्षकार पूर्ववत मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त जिसे अभिलेख के साथ संलग्न किया गया।</p> <p>इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा द0प्र0स0की धारा 320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया। फरियादी रघुवीर एवं आहत भोलेन्द्र की पहचान अधि0श्री हरीशंकर शुक्ला द्वारा की गई है।</p> <p>राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपीगण के विरुद्ध भादस की धारा 294,148,323/149 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। उक्त धाराये न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी रघुवीर व आहत भोलेन्द्र ने आरोपीगण से</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी धर्मा उर्फ प्रमोद, मोनू उर्फ प्रदीप, राजवीर, करूआ एवं मंगा उर्फ मंगल सिंह, बंटी उर्फ ऋषिकेश को भादस की धारा 294, 148, 323/149 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत मुचलके भारहीन किये गये।</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा लाठियाँ मूल्यहीन होने से तोड़तोड़ कर नष्ट की जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही- / (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे०एम०एफ०सी०गोहद जिला भिण्ड म०प्र०</p> | |
| | | |
| | | |
| | | |